



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

अति आवश्यक/अति महत्वपूर्ण

पत्रांक : पी0ए0/4525

दिनांक : 09.12.2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव

समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

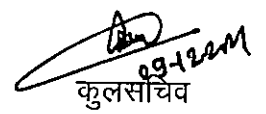
विषय:-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महादेया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 120/2021/3374-26-03-2021- 4(358)/07 टी. सी. III का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें बिन्दु संख्या-05 के क्रम पर महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किये गये छात्र/छात्राओं का डाटा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु की प्रमाणिकता विश्वविद्यालय स्तर से किया जायेगा। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या पी0ए0/ 4235 दिनांक 30.10.2021 के द्वारा सूचनाये प्रेषित करने के लिए आदेशित किया गया था, किन्तु कुछ महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा ही सूचनाये उपलब्ध करायी गयी हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त सूचनाये प्रत्येक दशा में दिनांक 10.12.2021 को अपरान्ह 01:00 बजे तक श्री एस0 पी0 सिंह0, एस0सी0आर0आई0ई0टी0, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव